19/12/24

पत्रावली पेश हुई। उपाय क्र. 34.7 प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विरुद्ध निर्णय शामिल किया गया फाइल वापिस दफ्तर के बाद हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/97

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

आदूराम बनाम अमरूराम आदि

किस्म मुकदमाः–251–क आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्याः– 66/2023 (GCMS No. 2023/97)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने जरिये वकील श्री कैलाश गोदारा प्रार्थना पत्र धारा 251–क आर0टी0ए0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 8 एस.डी. के खाता संख्या 9/45 के पत्थर नं. 100/387 (11) के किला नं. 4 ता 6,15,16,24,25 कुल 1.771 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी चक में प्रार्थी के नाम से खाता संख्या 130/85 के पत्थर नं. 100/387 (11) के किला नं. 2/2 में 0.013 अ0क0 व कि0न0 3/1 में 0.013 अ0क0 कुल 0.026 अ0क0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 8 एस.डी. के खाता संख्या 5/5 के पत्थर नं. 100/387 (11) के किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्टर अ0क0, 9/1 में 0.133 हैक्टर अ0क0, किला नं. 10/1 में 0.114 हैक्टर अ0क0, किला नं. 12/1 में 0.190 हैक्टर अ0क0, किला नं. 20/1 में 0.125 हैक्टर कुल 0.790 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के रकबा में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 8 एस.डी. के पत्थर नं. 100/387 के किला नं. 1 में पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में 1 बिस्वा रास्ता यानि 0.013 हैक्टर रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री संजीव कालिया व श्री श्यामसुन्दर चाण्डक ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली कर बहस हेतु पत्रावली रखी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के रकबा को कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या–2 ने निवेदन किया कि यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी के नाम से वाके चक 8 एस.डी. के खाता संख्या 9/45 के पत्थर नं. 100/387 (11) के किला नं. 4 ता 6,15,16,24,25 कुल 1.771 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी चक में प्रार्थी के नाम से खाता संख्या 130/85 के पत्थर नं. 100/387 (11) के किला नं. 2/2 में 0.013 अ0क0 व कि0न0 3/1 में 0.013 अ0क0 कुल 0.026 अ0क0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 8 एस.डी. के खाता संख्या 5/5 के पत्थर नं. 100/387 (11) के किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्टर अ0क0, 9/1 में 0.133 हैक्टर अ0क0, किला नं. 10/1 में 0.114 हैक्टर अ0क0, किला नं. 12/1 में 0.190 हैक्टर अ0क0, किला नं. 20/1 में 0.125 हैक्टर कुल 0.790 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के रकबा को स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। अप्रार्थी संख्या–1 ने भी जवाब एवं सहमति पेश कर रास्ता स्वीकृत करने की सहमति जताई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी (आदुराम पुत्र गोविन्दराम) के नाम अंकित खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 8 एस.डी. के खाता संख्या 9/45 के पत्थर नं. 100/387 (11) की 1.771 हैक्टर अ0क0 तथा खाता संख्या 130/85 के पत्थर नं. 100/387 (11) की 0.026 हैक्टर अ0क0 भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या–1 (अमरूराम पुत्र गोविन्दराम) की खातेदारी भूमि चक 8 एस.डी. के खाता संख्या 5/5 के [illegible] 100/387 (11) के किला नं. 1 में उत्तरी पासा में पूर्व से पश्चिम दिशा में 1 बिस्वा यानि 0.013 हैक्टर [illegible] रास्ता स्वीकृत किया जाता है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ता 0.013 हैक्टर की एवज में प्रार्थी वर्तमान [illegible] डीएलसी दर की दोगुना राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष जमा करवायेगा, [illegible] राशि अप्रार्थी संख्या–1 को सुपुर्द किये जावें। इसके पश्चात् उक्त आदेश की पालना में गै0मु0 रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावें। इसी अनुसार पालना की जाना निश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested